न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 04/2022 अपील (GCMS/2022/6)
पंजीयन दिनांक - 03.01.2022
निर्णय दिनांक - 08.02.2022

1. **श्री भंवरसिंह पिता श्री मनोहरसिंह राजपूत, निवासी साकरिया खेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।**
2. **श्री बुद्धाराम पिता श्री कल्याणसिंह राजपूत, निवासी एस-2, नेला रोड़, एफ.सी.आई. के पास, सेक्टर नम्बर-14, उदयपुर।**

-अपीलार्थी

बनाम

1. **श्रीमती रूपीबाई पत्नि श्री नारायणलाल डांगी, निवासी भीमल चारणान, तहसील मावली, जिला उदयपुर।**
2. **राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, वल्लभनगर जिला उदयपुर।**

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा - वकील अपीलार्थी
2. श्री मदनसिंह चौहान - वकील प्रत्यर्थी-1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक - वकील प्रत्यर्थी-2

प्रकरण संख्या-19/2021, बउनवानी श्रीमती रूपीबाई बनाम तहसीलदार, वल्लभनगर में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2021 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 17.11.2021 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 08.02.2022

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर द्वारा प्रकरण संख्या-19/2021, बउनवानी श्रीमती रूपीबाई बनाम तहसीलदार, वल्लभनगर में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2021 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 17.11.2021 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 श्रीमती रूपीबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा गोटीपा पटवार क्षेत्र गोटीपा वल्लभनगर, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1342 रकबा 0.8700 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1313 रकबा 0.4900 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व अभिलेख में उसके नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। हाल ही में हुए बंदोबस्त के लागू होने से पूर्व उसके नाम आराजी नम्बर 200/3/24 रकबा 5 बीघा व आराजी

नम्बर 200/3/4/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि उसके नाम से खातेदारी हक से दर्ज थी। बंदोबस्त लागू होने के पश्चात आराजी संख्या 200/3/24 के नये आराजी नम्बर 1342 अंकित हुए एवं रकबा 5 बीघा के स्थान पर 0.8700 हैक्टेयर अंकित हुआ जबकि रकबा 5 बीघा के स्थान पर 1.08 हैक्टेयर अंकित होना चाहिए था। इसी प्रकार आराजी संख्या 200/3/4/1 के नये आराजी नम्बर 1313 अंकित हुए एवं रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर 0.5400 हैक्टेयर अंकित होना चाहिए था। ऐसे में उक्त वर्णित आराजी संख्या 1342 का क्षेत्रफल 0.8700 हैक्टेयर के स्थान पर 1.08 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1313 का क्षेत्रफल 0.4900 के स्थान पर 0.5400 हैक्टेयर किया जाकर राजस्व अभिलेख को दुरस्त किया जाना आवश्यक है।

- उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र धारा-136 एलआर एक्ट का स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 14.09.2021 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 17.11.2021 को पारित करते हुए इन्द्राज दुरस्ती के आदेश प्रदान किये।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर द्वारा पारित उक्तय निर्णयों से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 20.12.2021 को ससमय प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का संलग्न किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दिनांक 03.01.2022 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 08.02.2022 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम गोटीपा और राजस्व ग्राम राणाकुडी के गांव की सीमा एक होकर राणाकुडी की जो सीमा समाप्त हो रही है उसके एकदम सटमा सड़क होकर सड़क के उत्तर दिशा की तरफ राजस्व ग्राम गोटीपा की सीमा है यानि की राजस्व ग्राम गोटीपा एवं राणाकुडी की राजस्व सीमा के मध्य मुख्य सड़क है और इस मुख्य सड़क के उत्तर दिशा की तरफ प्रत्यर्थी-1 की खातेदारी भूमि है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई और पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की और उसको आधार मानकर न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया और निर्णय के पश्चात जो मुख्य सड़क है, उस मुख्य सड़क के दक्षिण दिशा के तरफ जो राजस्व ग्राम राणाकुडी भी है, उस भूमि को भी गोटीपा राजस्व ग्राम की भूमि बताकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम करने के आदेश दिया जो अवैधानिक है। उक्त मुख्य सड़क के दक्षिण दिशा की तरफ अपीलार्थी एवं उसके अन्य सहखातेदारों की आराजी संख्या 2417/657, 658, 659, 662, 663, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, कुल किता 13 रकबा 8.92 हैक्टेयर भूमि स्थित है और अपीलान्ट की उक्त आराजीयात के उत्तर दिशा की तरफ बिल्कुल सटमा मुख्य सड़क है। पटवारी द्वारा उक्त

आराजीयात के उपर ओवरलेपिंग कर गोटीपा की आराजी को अपीलान्ट की आराजी के उपर बताकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। यह निर्णय पूर्ण रूप से अपीलार्थी के अधिकारों को प्रभावित कर रहा है जबकि अपीलार्थी अपने खातेदारी भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है और मुख्य सड़क से ही अपीलार्थी अपनी भूमि में आ रहे है। राजस्व ग्रामों की सीमा के बारे में पटवारी द्वारा कोई जांच न कर गलत रिपोर्ट तैयार की गई। प्रथम तौर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय दिनांक 14.09.2021 को पारित किया और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पुनः संशोधित निर्णय दिनांक 17.11.2021 को गलत तरिके से पारित कर दिया। उक्त निर्णय के द्वारा चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु भूमि को बिना किसी अधिकार के प्रस्ताव के एवं बिना जिला कलक्टर के आदेश के चारागाह भूमि प्रत्यर्थी-1 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जो गलत है। राज्य सरकार द्वारा चारागाह भूमि के संबंध में जारी आदेश के विपरित है। चारागाह भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 136 की आड़ में पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर चारागाह भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारी प्रत्यर्थी-1 को प्रदान कर दिया जो बिल्कुल कानून के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी पक्षकार मुकदमा नहीं थे, प्रत्यर्थी-1 द्वारा जानबुझकर अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया और जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर जो ग्राम गोटीपा के नक्शे को ओवरलेपिंग करते हुए अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि राणाकुडी जो मुख्य सड़क से सटमा स्थित है, उस भूमि को प्रत्यर्थी-1 की बताकर उसके बाबत राजस्व रेकर्ड में रद्दोबदल के जो आदेश दिये है, उससे अपीलान्ट की भूमि का नक्शा प्रभावित हुआ और अपीलार्थी की भूमि पर जबरन प्रत्यर्थी-1 द्वारा इस निर्णय के आधार पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इससे अपीलार्थी के हक व अधिकार प्रभावित हुए है, इसलिए यह अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए अलग से धारा-96 जादी का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.09.2021 व 17.11.2021 को अपास्त फरमाया जावें एवं उक्त निर्णय के अनुसरण में किये गये राजस्व रेकर्ड में रद्दोबदल को भी खारिज फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड की पूर्ववर्त स्थिति बहाल किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के खण्डन में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि मौजा गोटीपा पटवार क्षेत्र गोटीपा वल्लभनगर, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1342 रकबा 0.8700 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1313 रकबा 0.4900 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रत्यर्थी-1 के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। हाल ही में हुए बंदोबस्त के लागू होने से पूर्व उसके नाम आराजी नम्बर 200/3/24 रकबा 5 बीघा व आराजी नम्बर 200/3/4/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि उसके नाम से खातेदारी हक से दर्ज थी। बंदोबस्त लागू होने के पश्चात आराजी संख्या 200/3/24 के नये आराजी नम्बर 1342 अंकित हुए एवं रकबा 5 बीघा के स्थान पर 0.8700 हैक्टेयर अंकित हुआ जबकि रकबा

5 बीघा के स्थान पर 1.08 हैक्टेयर अंकित होना चाहिए था। इसी प्रकार आराजी संख्या 200/3/4/1 के नये आराजी नम्बर 1313 अंकित हुए एवं रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर 0.5400 हैक्टेयर अंकित होना चाहिए था। ऐसे में उक्त वर्णित आराजी संख्या 1342 का क्षेत्रफल 0.8700 हैक्टेयर के स्थान पर 1.08 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1313 का क्षेत्रफल 0. 4900 के स्थान पर 0.5400 हैक्टेयर किया जाकर राजस्व अभिलेख को दुरस्त किया जाना आवश्यक होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों की जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित किया। अपीलार्थी का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं होने से उसे अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत होने से यथावत रखा जावें।

विद्वान राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का विधि सम्मत होने का कथन प्रस्तुत किया।

हमनें उपस्थित अधिवक्ताओं की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

हम सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी पर विवेचन किया जाना उचित समझते है क्योंकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 श्रीमती रूपीबाई द्वारा आपत्ति जाहिर की। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि राजस्व ग्राम गोटीपा और राजस्व ग्राम राणाकुडी के गांव की सीमा एक होकर राणाकुडी की जो सीमा समाप्त हो रही है उसके एकदम सटमा सड़क होकर सड़क के उत्तर दिशा की तरफ राजस्व ग्राम गोटीपा की सीमा है यानि की राजस्व ग्राम गोटीपा एवं राणाकुडी की राजस्व सीमा के मध्य मुख्य सड़क है और इस मुख्य सड़क के उत्तर दिशा की तरफ प्रत्यर्थी-1 की खातेदारी भूमि है। उक्त मुख्य सड़क के दक्षिण दिशा की तरफ अपीलार्थी एवं उसके अन्य सहखातेदारों की आराजी संख्या 2417/657, 658, 659, 662, 663, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, कुल किता 13 रकबा 8.92 हैक्टेयर भूमि स्थित है और अपीलान्ट की उक्त आराजीयात के उत्तर दिशा की तरफ बिल्कुल सटमा मुख्य सड़क है। उक्त आराजीयात के उपर ओवरलेपिंग कर गोटीपा की आराजी को अपीलान्ट की आराजी के उपर तरमीम किया जाना के प्रमुख बिन्दु होने से यह न्यायालय पाता है कि अपीलार्थी हितबद्ध पक्षकार है, जिसे अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है, ऐसे में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण का गुणावगुण पर विवेचन किये जाने के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी-1 श्रीमती रूपीबाई के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर उपखण्ड अधिकारी

द्वारा संबंधित तहसीलदार से जवाब मय रिपोर्ट तलब की गई। संबंधित तहसीलदार, वल्लभनगर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 29.07.2021 (पटवारी रिपोर्ट दिनांक 27.07.2021) में उल्लेख किया कि-

''इस संबंध में पटवारी हल्का गोटीपा से रिपोर्ट ली गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा गोटीपा की जमाबंदी संवत् 2052-55 में खातेदार श्रीमती रूपीबाई पत्नि नारायणलाल डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली की खाता संख्या 108 में आ.न.200/3/24 रकबा 5-00 बीघा किस्म मगरी दर्ज रिकार्ड थी। इसी प्रकार खाता संख्या 112 आ.न. 200/3/4/1 रकबा 2-10 बीघा किस्म मगरी दर्ज रिकार्ड था। (गत भू-प्रबन्ध की जमाबंदी नकल एवं नक्शा संलग्न है) जिसे वर्तमान भू-प्रबन्ध जमाबंदी संवत् 2068-71 के खाता संख्या 127 आ.न. 1342 रकबा 0. 8700 हैक्टेयर किस्त बा.द्वि. (गत भू-प्रबन्ध आन.न. 200/3/24) दर्ज किया गया जिसका गत भू-प्रबन्ध के मुकाबले नवीन भू-प्रबन्ध में 0.21 हैक्टेयर की कमी जाहिर होती है। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत् 2068-71 के खाता संख्या 89 आ.न.1313 मी. रकबा 0.4900 हैक्टेयर किस्म बा.द्वि. दर्ज किया गया जिसका गत भू-प्रबन्ध अनुसार पुराना आ.न. 200/3/4/1 रकबा 2-10 बीघा था इस प्रकार भू-प्रबन्ध के मुकाबले नवीन भू-प्रबन्ध में 0.05 है. की कमी जाहिर होती है।

यह कि दोनों आराजीयात (आ.न.1313 मी. 1342) में खातेदार श्रीमती रूपीबाई पत्नि नारायणलाल डांगी निवासी भीमल चारण तहसील मावली को गत भू-प्रबन्ध के मुकाबले नवीन भू-प्रबन्ध में कुल 0.26 हैक्टेयर भूमि कम मिली है।

यह कि मौके एवं राजस्व रिकार्ड से जांच करने पर यह जाहिर आया कि गत भू-प्रबन्ध के आ.न. 200/3/24 एवं 200/3/4/1 की दक्षिणी सीमा राजस्व ग्राम राणाकुई की सीमा से सटी हुई थी (गत भू-प्रबन्ध का नक्शा ट्रेस संलग्न है) मौके पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रार्थीया/वादी की खातेदारी भूमि में से सड़क निकाल दी गई, सड़क के दक्षिण दिशा में शेष बची राजस्व ग्राम गोटीपा की नवीन भू-प्रबन्ध अनुसार आ.न.2528/1363 रकबा 0.74 हैक्टेयर किस्म पड़त द्वि. ''चारागाह एवं अन्य सामान्य कार्य हेतु'' कर दिया गया है जिसके कारण प्रार्थीया/खातेदार/वादी को गत भू-प्रबन्ध के मुकाबले नवीन भू-प्रबन्ध में 0.26 हैक्टेयर भूमि कम मिली। वर्तमान राजस्व रेकर्ड के आ.न. 2528/1363 रकबा 0. 74 हैक्टेयर किस्म पड़त द्वि. ''चारागाह एवं अन्य सामान्य कार्य हेतु'' दर्ज की है उक्त आ.न. 2528/1363 अनुसार आ.न. 200/3/4 जिसकी सीमा मौजा राणाकुई से लगी हुई है इनके बीच में पुराने नक्शे अनुसार कोई दुसरा आ.न. नहीं होने से हाल भू-प्रबन्ध का आ.न. 2528/1363 गत आ.न. 200/3/4, 200/3/24 से बना होना चाहिए था परन्तु भू-प्रबन्ध की गलती से 2528/1363 का मिलान क्षेत्रफल में आ.न. 200/3/2मी. अंकित कर दिया गया है।

यह कि वर्तमान भू-प्रबन्ध आ.न. 1313 एवं 1342 की सीमा को सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित राजस्व ग्राम राणाकुई की सीमा से मिलाने पर आ.न. 2528/1363 रकबा 0.74 हैक्टेयर किस्म पड़त द्वि. ''चारागाह व अन्य सामान्य कार्य हेतु'' में से 0.20 हैक्टेयर भूमि बनती है। इस प्रकार गत प्रबन्ध के मुकाबले वर्तमान भू-प्रबन्ध में कम पड रही 0.26 हैक्टेयर के मुकाबले 0.20 हैक्टेयर भूमि दिया जाना प्रस्तावित है। शेष 0.06 हैक्टेयर भूमि से से सड़क निकल जाने के कारण खातेदार को दिया जाना उचित नहीं है।

यह कि वर्तमान भू-प्रबन्ध के आ.न. 2528/1363 रकबा 0.74 हैक्टेयर किस्म पड़त द्वि. ''चारागाह व अन्य सामान्य कार्य हेतु'' में से 0.20 हैक्टेयर भूमि वादी श्रीमती रूपीबाई पत्नि नारायणलाल डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली को दिये जाने का प्रस्ताव बनाकर एवं साथ ही चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु राजस्व ग्राम गोटीपा के आ.न. 1542 रकबा 0.80 हैक्टेयर किस्त बीड़ द्वि. बिलानाम काबिल काश्त में से 0.20 हैक्टेयर भूमि का चारागाह किये जाने का प्रस्ताव पृथक से बनाया गया है।''

उक्त रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.09.2021 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 17.11.2021 को पारित किया जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील पेश की गई।

उपरोक्त पटवारी रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि पटवारी द्वारा प्रत्यर्थी-1 श्रीमती रूपी बाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर कथित जांच उपरान्त कमी पायी गई भूमि की पूर्ति चारागाह से किये जाने का अंकन किया और अन्य आराजी से क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित की गई। जिसके अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा चारागाह भूमि की खातेदारी प्रत्यर्थी-1 श्रीमती रूपीबाई को प्रदान करने के निर्णय पारित किया जो कि अपने आप में एक विधिक त्रुटि है क्योंकि चरागाह भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान करना एवं उसकी क्षतिपूर्ति अन्य भूमि से किये जाने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त नहीं है। धारा 136 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी को लिपिकीय त्रुटि या ऐसी त्रुटि को राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने का अधिकार है, जहां पक्षकार त्रुटि होना स्वीकार करते हो। हस्तगत प्रकरण में धारा-136 के अन्तर्गत चाहा गया अनुतोष संशोधन की प्रार्थना नहीं कहा जा सकता है। यह ऐसी प्रार्थना नहीं है जिसे दोनों पक्षकार लिपिकीय त्रुटि के रूप में स्वीकार करते हो, यह चरागाह भूमि में खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है। ऐसी दशा में प्रार्थना पत्र पर विचार करने का कोई अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं है एवं ऐसी दुरस्ती केवल विधिवत दावा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करके ही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उसके द्वारा पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट को ही अपना जवाब बना कर प्रस्तुत कर दिया, उसके स्वयं द्वारा अभिलेख एवं मौके की कोई जांच नहीं की गई, जिसके कारण वर्तमान अपील के अपीलार्थी के खातेदारी भूमि, जो कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी से स्पष्ट है, पर ओवरलेपिंग करते हुए तरमीम कर दी गई। जबकि पटवारी का यह कर्तव्य था कि वह दोनों राजस्व ग्राम गोटीपा एवं राणाकुई के राजस्व अभिलेखों का अध्ययन कर जांच उपरान्त अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता और प्रार्थना पत्र धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत वांछित अनुतोष देने पर प्रभावित होने वाले अन्य खातेदारों के बारे में उल्लेख करता परन्तु पटवारी द्वारा यह नहीं किया गया। दौराने बहस अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा यह अवगत कराया गया कि वक्त मौका रिपोर्ट, संबंधित पटवारी के पास दोनों राजस्व ग्राम का कार्यभार था। ऐसी स्थिति पाये जाने की सुरत में आश्चर्यजनक रूप से मौका रिपोर्ट में सिर्फ ग्राम गोटीपा के संबंध में ही मौका रिपोर्ट देना राजकीय कर्तव्य में उदासीनता का द्योतक है। उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को नहीं सुना गया और धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के दायरे से बाहर जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जो पूर्णतया अविधिक है और ऐसे अविधिक निर्णय का यह न्यायालय किसी प्रकार से समर्थन करना उचित नहीं पाता है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सभी हितबद्ध पक्षकारों मय अपीलार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर, राजस्व अभिलेखों की गहनता से जांच एवं परिक्षण कर पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार एवं विश्लेषण उपरान्त नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने बाबत प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.09.2021 एवं 17.11.2021 अपास्त किये जाते है। उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में सभी हितबद्ध पक्षकारों मय अपीलार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर, राजस्व अभिलेखों की गहनता से जांच एवं परिक्षण कर पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार एवं विश्लेषण उपरान्त नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर को पालनार्थ प्रेषित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर